

## भारत सरकार Government of India

## खान मंत्रालय Ministry of Mines

## भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines

100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.)248001

TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail – ro.dehradun@ibm.gov.in

फाईल संख्या File No: HP/SRM/LST-45

Mine Code: 38HPR10038

दिनाक, 15, June 2022

E-mail:mcshimachal@gmail.com

सेवा में To: श्री चूही राम शर्मा

> खननपटटाधारकर भीमगोडा चूनापत्थ -खान, गांव व पोस्टकमरऊ-, तहसील-पांवटा साहिब, जिला.प्र.सिरमौर हि-

विषय Sub:

ग्राम-कामरू, तहसील-पांवटा साहिब, जिला- सिरमौर हिमाचल प्रदेश के पास 3.05 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र में स्थित आपकी भीमगोड़ा चूना पत्थर खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय Sir,

दिनांक 31.05.2022 को श्री सोम प्रकाश तोमर, खान प्रबंधक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया:-

नियम	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
11(1)	Mining Operation has not been carried out in accordance with the approved modified mining plan of vide letter no. 614(2)/MS-B-65/98-DDN dated 04.06.2018 to the following extent:  (i) As per proposals, during the year 2021-22, it was proposed to carry out mining operation from 1887 mRl to 1881 mRl by formation of bench with 6 meter height
12(4)	In the case of existing mining leases, detailed exploration (G1 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease shall be carried out in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 or the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the case may be, within a period of five years from the date of commencement of these rules.
54	However, the exploration is not undertaken accordingly.  As per rule 54, production and dispatched register required to be maintained but lessee has to failed to produce same register for inspection.
55	Every holder of mining lease shall employ a Mining Engineer in the mine. But Mining engineer has not been appointed in the Mine.

- 2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11 और 54 का उल्लंघन नियम 62(1) के तहत दंडनीय अपराध है और नियम 55 तथा 12(4) के उल्लंघन पर एमसीडीआर संशोधन नियम, 2021 की अनुसूची 3 में निर्धारित नियम 62 (2) के तहत जुर्माना दंडनीय होगा।
- 3. एमसीडीआर 2017 के नियम/उप नियम 11(1) का पालन न करने की स्थिति में नियम 11(2) के तहत खनन कार्य को निलंबित भी किया जा सकता है।
- 4. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।
- 5. उपरोक्त के अतिरिक्त इस खान में एक्स्प्लोरेशन का उल्लंघन पूर्व से ही लम्बित है। उसकी अनुपालना न होने पर नियम 12(4) के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय Yours faithfully

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)

2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines